भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3699

उत्तर देने की तारीख 25/03/2026

पीएम उषा के अंतर्गत कार्यान्वयन और परिणाम निगरानी

3699 # **श्री शंभू शरण पटेल:**

श्री मिथलेश कुमार:

श्री बृज लाल:

श्री केसरीदेवसिंह झाला:

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:

श्री दीपक प्रकाश:

श्री मोकरिया रामभाई:

श्री तेजवीर सिंह:

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:

श्री सुभाष बराला:

श्री एस. सेल्वागनबेथी:

श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े:

श्री नरहरी अमीन:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है, जिसमें शामिल किए गए राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों की संख्या, स्वीकृत इकाइयाँ एवं तथा स्वीकृत एवं जारी की गई निधि का ब्यौरा सम्मिलित है;

(ख) केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर मूल्यांकन, परीक्षण तथा प्रदर्शन-आधारित निधि जारी करने के लिए कौन-सा संस्थागत एवं निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है;

(ग) क्या फोकस जिलों, अविकसित क्षेत्रों तथा नए मॉडल डिग्री कॉलेजों के लिए विशेष हस्तक्षेपों को स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं, जिनमें उच्च शिक्षा में पहुँच, समानता एवं गुणवत्ता सूचकों पर अपेक्षित प्रभाव भी सम्मिलित हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): सरकार ने शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रूसा के पूर्ववर्ती चरणों की प्रतिबद्ध देनदारियां सहित 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) का तीसरा चरण शुरू किया है।

इस योजना के तहत, कुल 34 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र ने योजना में सहभागिता के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 613 इकाइयों को कुल 8190.73 करोड़ रुपये की सहायता राशि का अनुमोदन दिया गया है।

(ख): सरकार हितधारकों के साथ नियमित ऑनलाइन/वास्तविक समीक्षा बैठकों के माध्यम से इन शिक्षा परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग कर रही है। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों की होती है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एसएनए-स्पर्श मॉडल के माध्यम से निधियां जारी की जाती है। एसएनए-स्पर्श मॉडल के अंतर्गत, राशि 'उपयुक्त समय पर' जारी की जाती है, तथा विक्रेताओं और लाभार्थियों को पीएफएमएस पोर्टल पर बिल जमा करने के आधार पर दैनिक स्वीकृति रिलीज के माध्यम से सीधे भुगतान किया जाता है।

(ग) और (घ) इस योजना के अंतर्गत फोकस जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा फोकस जिलों को विभिन्न मानदंडों के आधार पर चिन्हित किया जाता है, जिसमें कम सकल नामांकन अनुपात, लैंगिक समानता, जनसंख्या अनुपात और महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग, आकांक्षी/सीमावर्ती क्षेत्र/वामपंथी उग्रवाद प्रवण जिलों आदि के लिए नामांकन अनुपात शामिल हैं।

इस योजना में विभिन्न घटकों अर्थात बहु-विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू), विश्वविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान (जीएसयू), कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान (जीएससी), नए मॉडल डिग्री कॉलेज (एनएमडीसी) और लिंग समावेशन एवं समानता पहल (जीआईईआई) के अंतर्गत सहायता के माध्यम से राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली में पहुंच, समानता और उत्कृष्टता में सुधार की परिकल्पना की गई है। इस योजना के अंतर्गत 137 नए मॉडल डिग्री कॉलेजों (एनएमडीसी) की स्थापना को 'न्यू माडल डिग्री कॉलेज' घटक के तहत समर्थन का अनुमोदन दिया गया है जिसमें प्रत्येक कॉलेज के लिए कुल राशि 12 से 15 करोड़ रूपए तक प्रदान की जाएगी।
